






कार्यालय नगरपालिका मण्डल, केकड़ी (अजमेर) राज.

Email ID – npkekri2011@gmail.com ☎(O) : 01467-220002, 220019 web site : www.urban.raajasthan.gov.in/ulbkekri
 क्रमांक : न.पा.के./ प्र.शा.के.सं.अभि.-21/2021-22/ दिनांक :

-: एम्पावर्ड कमेटी बैठक दिनांक 21.02.2022 की बैठक कार्यवाही विवरण :-

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर के पत्र क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/2021/68664 दिनांक 27.09.2021 एवं पत्र क्रमांक प. 17(1)नविवि/अभियान/2021/मं.मं.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के द्वारा "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021" के तहत गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आज दिनांक 21.02.2022 को दोपहर 3.00 बजे कार्यालय नगरपालिका में आहूत की गई जिसमें अधिकृत कमेटी के निम्नांकित पदाधिकारी/सदस्यगण उपस्थित हुये :-

1. श्री कमलेश कुमार साहू, अध्यक्ष, नगरपालिका केकड़ी।
2. श्री बसन्त कुमार सैनी, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका केकड़ी।
3. श्री घासी लाल गुर्जर, सहायक अभियंता, नगरपालिका केकड़ी।
4. श्री भागचन्द बैरवा, कनिष्ठ लेखाकार नगरपालिका केकड़ी।
5. सुश्री मंजुलता कुमारी, वरिष्ठ प्रारूपकार, नगरपालिका केकड़ी।

अध्यक्ष 
 सदस्य सचिव 
 सदस्य 
 सदस्य 
 सदस्य 

एम्पावर्ड कमेटी में कोरम पूरा होने पर श्रीमान अध्यक्ष महोदय नगरपालिका केकड़ी की आज्ञा से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रस्ताव सं. 01 : कृषि भूमि में पूर्व अनुमोदित योजनाओं में पट्टा प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार :-

अधिशासी अधिकारी ने कृषि भूमि में पूर्व अनुमोदित योजनाओं में पट्टा प्राप्त करने हेतु प्राप्त प्रकरण कमेटी में रखे है जो निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक/पिता का नाम	खसरा संख्या		स्वीकृत योजना	भूखण्ड नम्बर	क्षेत्रफल वर्गमीटर में
		नया	पुराना			
1	श्रीमती हेमकंवर पत्नी रघुवीर सिंह	4069	3148	आनन्द नगर	25	82.95
2	श्री ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन	3998	3561	न्यू कल्याण	05	107.51
3	श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी नंदकिशोर साहू	2757, 2758	5362	महावीर कॉलोनी	32	123.30
4	श्री नन्दकिशोर साहू पुत्र रामनिवास	2757, 2758	5362	महावीर कॉलोनी	36	126.87
5	श्री लोकेश शर्मा पुत्र महावीर प्रसाद	4281	2803	जोशी मीणा कॉलोनी	35	165.65
6	श्री रामराय मेवाडा पुत्र महावीर प्रसाद	4273	2925	वीएम कॉलोनी	03	83.36
7	श्री रामराय मेवाडा पुत्र महावीर प्रसाद	4273	2925	वीएम कॉलोनी	04	83.36
8	श्री शिवराज मेवाडा पुत्र रतनलाल मेवाडा	4273	2925	वीएम कॉलोनी	23	131.93
9	श्री रमेश कुमार नोगिया पुत्र रामसुख रेगर	4062	3151	मोदी नगर 2	19 का 1/2 भाग	94.23
10	श्री वैभव स्वर्णकार पुत्र शासी स्वर्णकार	3735, 3466	3398, 3399	न्यू आरके 2	27	92.93
11	श्रीमती तारामती वैष्णव पत्नी भगवती प्रसाद	4068	3149	राधास्वामी कॉलोनी	22, 23	169.14
12	श्रीमती राधारानी गोवरानी पत्नी तेजप्रताप गोवरानी	3914, 3915	4104 मी., 4105 मी.	एमडीएस नगर	16 का पश्चिमी भाग	102.78
13	श्रीमती आशा जैन पत्नी राजीव जैन		2946, 2947, 2950	न्यू प्रेम नगर	47, 48	185.68
14	श्री सूरजप्रकाश कुमावत पुत्र छोटूलाल कुमावत	3803, 3804	3427, 3428	लवकुश 2	51ए, 51बी	157.87
15	श्रीमती सरोज देवी पत्नी मांगीलाल घोषी	3803, 3804	3427, 3428	लवकुश 2	02	89.77
16	श्रीमती दीपिका वर्मा पत्नी रमेश कुमार रेगर	4062	3151	मोदी नगर	19	94.23

1	श्री रामचंद्र लाल शर्मा पुत्र अमर लाल शर्मा	१००	१००	बनारस	१०	१०००
2	श्री रामचंद्र लाल शर्मा पुत्र अमर लाल शर्मा	१००	१००	बनारस	१०	१०००
3	श्री रामचंद्र लाल शर्मा पुत्र अमर लाल शर्मा	१००	१००	बनारस	१०	१०००
4	श्री रामचंद्र लाल शर्मा पुत्र अमर लाल शर्मा	१००	१००	बनारस	१०	१०००
5	श्री रामचंद्र लाल शर्मा पुत्र अमर लाल शर्मा	१००	१००	बनारस	१०	१०००
6	श्री रामचंद्र लाल शर्मा पुत्र अमर लाल शर्मा	१००	१००	बनारस	१०	१०००
7	श्री रामचंद्र लाल शर्मा पुत्र अमर लाल शर्मा	१००	१००	बनारस	१०	१०००
8	श्री रामचंद्र लाल शर्मा पुत्र अमर लाल शर्मा	१००	१००	बनारस	१०	१०००
9	श्री रामचंद्र लाल शर्मा पुत्र अमर लाल शर्मा	१००	१००	बनारस	१०	१०००
10	श्री रामचंद्र लाल शर्मा पुत्र अमर लाल शर्मा	१००	१००	बनारस	१०	१०००
11	श्री रामचंद्र लाल शर्मा पुत्र अमर लाल शर्मा	१००	१००	बनारस	१०	१०००
12	श्री रामचंद्र लाल शर्मा पुत्र अमर लाल शर्मा	१००	१००	बनारस	१०	१०००
13	श्री रामचंद्र लाल शर्मा पुत्र अमर लाल शर्मा	१००	१००	बनारस	१०	१०००
14	श्री रामचंद्र लाल शर्मा पुत्र अमर लाल शर्मा	१००	१००	बनारस	१०	१०००
15	श्री रामचंद्र लाल शर्मा पुत्र अमर लाल शर्मा	१००	१००	बनारस	१०	१०००

यहां प्रकृतियों का क्रम 1 से 29 तक का क्रम में बना रहा है और अवशेष किया गया जिसमें पाया कि क्रम क्रम 1 से 29 तक प्रकृतियों में प्रकृतियों की सूची, कनिष्ठ अभियंता मौला रिपोर्ट व स्वीकृत ले-आउट पत्र में क्रम से सभी प्रकृतियों के पदों जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रकार सं. 22 : निम्न क्षेत्र के तहत पदों प्राप्त करने हेतु प्राप्त प्रकृतियों पर विचार :-

अभियंता कनिष्ठ अभियंता के नगरपालिका अभियंता 2009 की धारा 89 के तहत पदों प्राप्त करने हेतु प्रथम क्रम में रहे हैं जो निम्नानुसार हैं :-

1. श्रीमती हेमलता दिव्य पत्नी मोहनलाल दिव्य, खाईगढ मोहल्ला पुरानी केकडी।
2. श्रीमती इन्द्रा देवी, धनपुरा जूनिआ गेट के पास केकडी।
3. श्री मोहनलाल लाल वैश्या पुत्र भरतलाल वैश्या, माली मोहल्ला केकडी।
4. श्री रमेश चंद्र सैन पुत्र रामगोपाल सैन, माणक चौक केकडी।
5. श्रीमती तुलिका दिव्य, शीतला माली के पास केकडी।
6. श्री कृष्णगोपाल सिंह पुत्र धूल सिंह दरोगा, बिचली हथई केकडी।
7. श्री हेमराज व धनराज पुत्र छीतर नायक, नायकान माली केकडी।
8. श्री भागचन्द्र, ओम्प्रकारा दिव्य पुत्र स्व. नन्दलाल दिव्य, माणक चौक केकडी।
9. श्री महेंद्र अग्रवाल पुत्र राधेश्याम जी, तैलियान संस्था के पास केकडी।
10. श्री भागचन्द्र सैन पुत्र स्व. मनोहर लाल सैन, कुन्हार मोहल्ला पुरानी केकडी।
11. श्री मोहम्मद हुसैन पुत्र लाल मोहम्मद, खाती मोहल्ला केकडी।
12. श्री नन्दलाल माली पुत्र छोदलाल माली, सुरजपोल गेट केकडी।
13. श्री राधेश्याम झंवर पुत्र धनराज झंवर, खाईगढ मोहल्ला केकडी।
14. श्री अब्दुल कलाम पुत्र अब्दुल शकूर, लोठा चौक पुरानी केकडी।
15. श्री ज्ञानचन्द्र पुत्र राजमल बोरदिया, फतेहपुरिया माली केकडी।
16. श्रीमती मोतिया देवी पत्नी भागचन्द्र माली, नाईयो की गली खिडकी गेट केकडी।
17. श्री कन्हैयालाल सोनी पुत्र श्यामलाल, बडा गुवाडा केकडी।
18. श्री लादूराम पुत्र भूरालाल तेली, खाईगढ मोहल्ला केकडी।
19. श्री रामनारायण पुत्र मूलचन्द्र धोबी, धोबी मोहल्ला केकडी।
20. श्रीमती कान्ता देवी पत्नी त्रिलोकचन्द्र बसेर, गुजराती मोहल्ला पुरानी केकडी।
21. श्री परविन्दर प्रताप सिंह पुत्र मदन सिंह, बिचली हथई में अंदर की तरफ केकडी।
22. श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र मदन सिंह, बिचली हथई छीपा मोहल्ला केकडी।
23. श्री परविन्दर प्रताप सिंह, राजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र मदन सिंह, बिचली हथई छीपा मोहल्ला केकडी।
24. श्री अब्दुल मुकीम मंसूरी, बडा गुवाडा खाईगढ केकडी।
25. श्री राजकुमार, दीनबंधु राठी पुत्र विश्वनाथ राठी, घंटाघर वार्ड नं 24 केकडी।
26. श्री अन्सार पुत्र अमीरुद्दीन व रईसा पत्नी अंसार, सरसडी गेट केकडी।
27. श्री श्यामसुन्दर पुत्र दामोदर राय पाराशर, खाईगढ मोहल्ला पुरानी केकडी।
28. श्री मोहम्मद रफीक पुत्र मोहम्मद शफी, जुवाडिया मोहल्ला केकडी।
29. श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी पुत्र नारायण सोनी, बलाई मोहल्ला केकडी।

30. श्री गोपाल दास पोपटानी पुत्र पोखरदास, भैरू गेट केकडी।
31. श्री प्रकाश चंद वैष्णव पुत्र मदन, पुरानी केकडी।
32. श्री रामगोपाल डाकोत पुत्र जगदीश प्रसाद, माली मोहल्ला केकडी।
33. श्री कन्हैयालाल पुत्र प्रहलाद जांगिड, केकडी।
34. श्री शमसुद्दीन पुत्र मौलाबक्ष, सरसडी गेट केकडी।
35. श्रीमती अजीजन पत्नी मरहूम निसार अहमद, यूसूफ अली पुत्र मरहूम अल्लादीन व मोहम्मद सलीम पुत्र मरहूम अब्दुल गफफार, केकडी।
36. श्री महावीर दास पुत्र बद्रीदास वैष्णव, माली मोहल्ला केकडी।
37. श्री रामस्वरूप पुत्र रामप्रसाद विजयवर्गीय, माणक चौक केकडी।
38. श्रीमती नंदू देवी पत्नी छोटूलाल, सत्यनारायण पुत्र छोटूलाल, तेली मोहल्ला केकडी।
39. श्री विजयकरण पुत्र गोपीलाल वैष्णव, माहेश्वरी भवन के पास पुरानी केकडी।
40. श्री अब्दुल हमीद पुत्र फखरुद्दीन, सूरजपोल गेट पुरानी केकडी।
41. श्री भगवान स्वरूप पुत्र बालकृष्ण राठी, पुरानी केकडी।
42. श्री ओमप्रकाश पुत्र राधाकृष्ण विजयवर्गीय, माणक चौक केकडी।
43. श्री मोहम्मद एजाज पुत्र मोहम्मद शफीक, तिवाडी मोहल्ला केकडी।
44. श्री चेतन जैन पुत्र अनिल कुमार जैन पुत्र कैलाशचंद जैन, ओसवाल संस्था के सामने सब्जी मंडी केकडी।
45. श्रीमती रतन कंवर पत्नी गणपत सिंह, खाईगढ मोहल्ला केकडी।
46. श्री नाथूलाल मेघवंशी पुत्र सुखदेव मेघवंशी, जुवाडिया मोहल्ला केकडी।
47. श्रीमती लीलावती पत्नी भंवरलाल गंगवाल, जुवाडिया मोहल्ला केकडी।
48. श्री गोविन्द राम तेली पुत्र रामपाल तेली, खाती मोहल्ला केकडी।
49. श्रीमती केसर देवी पत्नी छोटूलाल माली, माली मोहल्ला पुरानी केकडी।
50. श्री सतीश कुमार वैष्णव, तिवाडी मोहल्ला केकडी।
51. श्री अजय गंगवाल, आशा गंगवाल, बबीता गंगवाल, महावीर गंगवाल, मुन्नी देवी, पवन गंगवाल, शीतल गंगवाल नि० जुवाडिया मोहल्ला केकडी।
52. श्री मोहम्मद हनीफ पुत्र अब्दुल गनी, अजमेरी गेट केकडी।
53. श्री मोहम्मद हनीफ पुत्र अब्दुल गनी, अजमेरी गेट केकडी।

उक्त बिन्दु सं. 1 से 53 के प्रकरण में दस्तावेजों की पूर्ति, कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट तथा संयुक्त जांच दल की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इसलिए कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि सभी प्रार्थियों को पट्टे प्रदान किये जाये।

प्रस्ताव सं. 03 : स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे प्राप्त करने हेतु प्राप्त पत्रावलियों पर विचार :-

अधिसासी अधिकारी ने स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे प्राप्त करने हेतु प्रकरण कमेटी में रखे हैं जो निम्नानुसार है :-

1. श्री बून्दू खां पुत्र अमीरुद्दीन शाह, शीतला माता की गली केकडी।
2. श्री भंवरलाल पुत्र रामदेव तेली, अस्थल मोहल्ला केकडी।
3. श्री सलीम शहजाद पुत्र मुस्ताक अहमद, सूरजपोल गेट केकडी।

उक्त बिन्दु सं. 1 से 3 के प्रकरण में दस्तावेजों की पूर्ति, कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट तथा संयुक्त जांच दल की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इसलिए कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि सभी प्रार्थियों को पट्टे प्रदान किये जाये।

प्रस्ताव सं. 4 : भवन निर्माण स्वीकृति के प्राप्त प्रकरणों पर विचार :-

1. श्री रामस्वरूप पुत्र काना तेली, गोपाल कॉलोनी डोराई का रास्ता केकडी।
2. श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र समुन्द्र सिंह राजपूत, बालाजी नगर दण्ड का रास्ता केकडी।
3. श्री गोवर्धनलाल पुत्र नीमूडा हरिजन, कादेडा रोड हरिजन बस्ती केकडी।
4. श्री पीरूलाल रेगर पुत्र रामपाल रेगर, गणपति नगर केकडी।
5. श्री प्रेमचन्द पुत्र गुलाबचंद जैन, वीएम कॉलोनी राजपुरा रोड केकडी।
6. श्री रामरतन झारोटिया पुत्र रामदेव रेगर, शिव नगर डोराई रोड केकडी।

7. श्रीमती आरती जैन पत्नी राकेश जैन, आधुनिक कॉलोनी जयपुर रोड केकडी।
8. श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी पीरूलाल रेगर, गणपति नगर केकडी।
9. श्रीमती भीता व्यास पुत्री योगेश चन्द्र व्यास, शान्तिनाथ नगर 2, केकडी।
10. श्री कालूराम पुत्र दगडूलाल माहेश्वरी, हर्ष नगर कॉलोनी केकडी।
11. श्रीमती अर्चना दाधीच पत्नी परमेश्वर शर्मा, शान्तिनाथ नगर 2 केकडी।
12. श्री जगदीश प्रसाद पुत्र पोलूराम, न्यू कृष्णा नगर केकडी।
13. श्री मनीष दाधीच पुत्र मुरलीधर दाधीच, न्यू महावीर कॉलोनी केकडी।
14. श्री विष्णु सिंह चौहान पुत्र लक्ष्मण सिंह चौहान, विनायक नगर केकडी।
15. श्री प्रीतम पुत्र विशनदास सिंधी, बीसलपुर बाईपास रोड केकडी।

उक्त प्रत्येक पत्रावलीयों का कमेटी द्वारा अवलोकन किया गया जिसमें क्रम संख्या 1 से 15 तक पत्रावलीयों में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर, कनिष्ठ अभियंता तथा वरिष्ठ प्रारूपकार की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

प्रस्ताव सं. 5 : नामान्तरण के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनों पर विचार :-

अधिकांश अधिकारी ने नाम हस्तान्तरण के प्रकरण कमेटी में रखे हैं जो निम्नानुसार है :-

1. श्री उदयलाल पुत्र श्री दुर्गालाल सोनी, पटवार घर के सामने केकडी।
2. श्री पूरणदास कारिहा पुत्र श्री किशनचन्द, सदर बाजार केकडी।
3. श्रीमती कैलाशी देवी सोनी, रवि कुमार सोनी/किशन प्रकाश सोनी, केकडी।
4. श्रीमती नर्बदा देवी पत्नि श्री रमेशचन्द, धोबी मौहल्ला केकडी।
5. श्री रामसिंह सोनी, राकेश सोनी पुत्र श्री घनश्याम सोनी, केकडी।
6. श्री दिनेश चन्द गर्ग पुत्र श्री रतनलाल गर्ग, इन्द्रा कॉलोनी केकडी।
7. श्री सत्यनारायण पुत्र भूरालाल, गणपति नगर केकडी।
8. श्री मनोज कुमार लोढा पुत्र श्री भंवरलाल लोढा, पुरानी केकडी।
9. श्री मोहम्मद इकबाल पुत्र श्री यासीन खां, शबनम कॉलोनी केकडी।
10. श्रीमती उमा देवी पाराशर पत्नि श्री नन्द किशोर पाराशर, पुरानी केकडी।
11. श्री गोविन्द प्रसाद पुत्र श्री ग्यारसी लाल दुदानी, जूनियां गेट केकडी।
12. श्री योगेन्द्र प्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद, पोकी नाडी के सामने जयपुर रोड केकडी।
13. श्रीमती प्रेम देवी पत्नि श्री घासीलाल साहू, आर्य नगर सापन्दा रोड केकडी।
14. श्री आकाश वैष्णव पुत्र श्री रमेशचन्द वैष्णव, केकडी।

कमेटी द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदनों में सम्मिलित दस्तावेजों का अवलोकन किया जाकर श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.01.2020 के अन्तर्गत एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में जारी आदेश दिनांक 29.10.2021 के अनुसार नाम हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति/अनुमोदन करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया।

प्रस्ताव सं. 06 – कच्ची बस्ती डिनोटी फाईड पत्रावली पर विचार।

अधिकांश अधिकारी ने बैठक में अवगत कराया कि पालिका क्षेत्र में 8 कच्ची बस्तियाँ हैं जो निम्नानुसार है :-

1. भट्टा/ गुजरवाड़ा कच्ची बस्ती।
2. माली मोहल्ला कच्ची बस्ती।
3. हरिजन सूरजपोल गेट कच्ची बस्ती।
4. गोपालपुरा कच्ची बस्ती।
5. जगदीशपुरा कच्ची बस्ती।
6. रामबाड़ी भैरुगेट कच्ची बस्ती।
7. काजीपुरा कच्ची बस्ती।
8. कंजर सासी बस्ती।

उपरोक्त कच्ची बस्तियों वर्ष 1998-99 से पूर्व की है जिनमें पालिका द्वारा समय-समय पर पालिका मद एवं केन्द्र/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सड़क, नाली, लाईट, सार्वजनिक शौचालय, आदि करवाये जा चुके हैं। इस प्रकार उक्त कच्ची बस्तियों में सभी आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इन बस्तियों की मौका रिपोर्ट के अनुसार रहवासियों के द्वारा पक्के मकानों का निर्माण कर लिया गया है।

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत श्रीमान निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर के पत्रांक प.8(ग)(डीएलवी/21/62359 जयपुर दिनांक 04.08.2021 के द्वारा जिन कच्ची बस्तियों में आधारभूत विकास पूर्ण हो चुका है एवं जो कच्ची बस्तियों परिभाषा से बाहर होने योग्य हैं। इन्हें अनाधिसूचित (Denotify) करने हेतु स्थानीय स्तर की सम्बन्धित निकाय एम्पावर्ड कमेटी को अधिकृत किया गया है।

बाद विचार विमर्श उपरोक्त कच्ची बस्तियों में लगभग सभी आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध होने से उक्त जारी आदेश की अनुपालना में नगरपालिका क्षेत्र की 8 ही कच्ची बस्तियों को अनाधिसूचित (Denotify) करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया।

अधिकाधिकारी ने यह भी अवगत कराया कि उक्त कच्ची बस्तियों को डिनोटीफाई करने के सम्बन्ध में पालिका द्वारा राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में क्रमांक 5957 दिनांक 09.02.2022 को आपत्ति आमंत्रण पत्र का प्रकाशन करवाया जिस पर दिनांक 15.02.2022 को श्री नरेन्द्र कुमार पार्षद वार्ड नं. 40 व श्री आसिफ हुसैन पार्षद वार्ड नं. 31 व पार्षद वार्ड नं. 28 श्री जितेन्द्र बोरयत ने आपत्ति पेश की जिसमें अंकित किया है कि उक्त भट्टा वस्ती एवं काजीपुरा वस्ती को अनाधिसूचित की कार्यवाही की जाती है तो कच्ची वस्ती को मिलने वाले लाभ से वंचित रह जायेंगे ऐसी स्थिति में उक्त दोनों कच्ची वस्ती को अनाधिसूचित नहीं की जावे। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के तहत उपरोक्त कच्ची बस्तियों के सम्बन्ध में सदन से निर्णय अपेक्षित है।

कमेटी द्वारा प्राप्त आपत्तियों का अवलोकन किया। प्राप्त आपत्तियों में ठोस कारणों का उल्लेख नहीं होने से एवं कच्ची बस्तियों में वर्तमान में सभी मुलभूत सुविधाएँ उपलब्ध होने से प्राप्त आपत्तियाँ निरस्त की जाती हैं एवं कच्ची बस्तियों को डिनोटीफाईड किये जाने व उक्त कच्ची बस्तियों का नियमानुसार गजट नोटिफिकेशन करवाये जाने का सर्व सम्मति से निर्णय पारित किया गया।


प्रस्ताव सं. 07 – पंचायत समिति केकडी परिसर पट्टा पत्रावली पर विचार।


अधिकाधिकारी ने कमेटी के समक्ष विकास अधिकारी पंचायत समिति केकडी द्वारा पंचायत समिति कार्यालय के चाहे जा रहे पट्टे की पत्रावली पेश की और कमेटी को अवगत करवाया कि कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार अजमेर कोटा रोड के सहारे केकडी मास्टर प्लान 2031 के अनुसार रोड सीमा 50 फीट के पश्चात 50 फीट गहराई तक भू उपयोग व्यवसायिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है एवं इसके पश्चात सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों हेतु आरक्षित है। ऐसी स्थिति में उक्त व्यवसायिक पट्टी में से अग्रभाग में 26 फीट गहराई तक की भूमि छोड़ते हुए शेष भूमि माप $(350 + 342.6) \times 261 \times 1/9 = 10041.25 = 8395.69$ वर्गमीटर भूमि का पट्टा दिया जाना उचित रहेगा कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर व्यवसायिक पट्टी में से $26' \times 253'6''$ फीट भूमि कम करते हुए शेष भूमि माप 8395.69 वर्गमीटर का पंचायत समिति कार्यालय हेतु पट्टा दिये जाने का सर्व सम्मति से निर्णय पारित किया गया।


प्रस्ताव सं. 08 – राजस्व ग्राम नायकी नगरीय क्षेत्र नगर पालिका केकडी में स्थित आराजी खसरा नं. 118 रकबा 1.06 हैक्ट. में 60 फीट चौड़ा पहुँचमार्ग राजस्व रास्ते को 60 फीट करने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार—


कमेटी ने पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व ग्राम नायकी तहसील केकडी व नगरीय क्षेत्र नगरपालिका केकडी में स्थित आराजी खसरा नं. 118 के रकबा 1.06 हैक्ट. में से 4865 वर्गमीटर भूमि आधारित वेयर हाउस प्रयोजनार्थ धारा 90क के अन्तर्गत अनुज्ञा व आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन में आवेदित भूमि को राजस्व रास्ता जिसकी चौड़ाई 10 से 25 फीट होने से नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 अनुसार न्यूनतम 18 फीट पहुँचमार्ग आवश्यक होने से राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना एफ3(77)UDH/3/2010 पार्ट जयपुर दिनांक 10.06.2020 में जारी दिशा निर्देशानुसार 90A की कार्यवाही ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु पहुँचमार्ग की न्यूनतम मार्गाधिकार एवं प्रस्तावित मार्गाधिकार हेतु प्रावधान के लिए विन्दु सं. 3 में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर विद्यमान सड़क की न्यूनतम चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है। पालिका द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देशानुसार जयपुर रोड से आराजी खसरा नं. 74, 1520/74, 120, 1609/74, 1586/74, 1587/74, 118, 162, 178, 180 में से व्यापक जनहित में 60 फीट चौड़ा सड़क मार्गाधिकार सुनिश्चित करने हेतु आम-सूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर व समाचार जगत के अंक प्रकाशित करवाई गई थी। तथा पुनः संशोधित आम-सूचना का प्रकाशन दैनिक


भास्कर के अंक में भी प्रकाशित की गई। अन्दर मियाद कोई आपति दर्ज नहीं होने तथा पालिका के कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार व्यापक जनहित में राजस्व रास्ता की चौड़ाई 10 से 25 फीट के स्थान पर 60 फीट की जाने की राय अनुसार सड़क मार्गाधिकार 10 से 25 फीट स्थान पर 60 फीट चौड़ा करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।


(कमलेश कुमार साहू)
अध्यक्ष
नगरपालिका केकड़ी


(घासी लाल गुर्जर)
सहायक अभियन्ता
नगर पालिका, केकड़ी


(बसन्त कुमार सैनी)
अधिसासी अधिकारी
नगरपालिका केकड़ी



(महेंद्र चन्द्र बैरवा)
कनिष्ठ लेखाकार
नगरपालिका केकड़ी


(मन्जूलता कुमारी)
वरिष्ठ प्रारूपकार
नगरपालिका केकड़ी

क्रमांक : न.पा.के. / प्र.शा.के.सं.अभि.-21/2021-22/6338 - 43
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक : 21.2.22

1. श्रीमान् निदेशक महोदय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. श्रीमान् उपनिदेशक महोदय (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
3. श्रीमान् सहायक नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, अजमेर।
4. श्री कमलेश कुमार साहू, अध्यक्ष नगरपालिका केकड़ी।
5. सम्बन्धित शाखा प्रभारी, नगरपालिका केकड़ी।
6. संरक्षित पत्रावली।


(बसन्त कुमार सैनी)
सदस्य सचिव, एम्पावर्ड कमेटी
एवं अधिसासी अधिकारी
नगरपालिका केकड़ी